

एमएमटीसी लिमिटेड: कॉर्पोरेट कार्यालय: नई दिल्ली

फा.सं. _ एमएमटीसी/पी/आरबी/ईपीएस-95/2023

दिनांक 01.03.2023

परिपत्र

विषय: ईपीएस-1995 के तहत उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए
संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने के संबंध में

उक्त विषय पर दिनांक 31.01.2023, 10.02.2023 एवं 17.02.2023 के परिपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

ईपीएफओ ने पत्र संख्या पेंशन/2022/56259/16541 दिनांक 20 02.2023 के माध्यम से अपने क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया है जिसमें यह कहा गया है कि पात्र ईपीएस-95 सदस्यों को संबंधित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में निर्दिष्ट फॉर्म और तरीके से आवेदन की आवश्यकता है। उनके द्वारा आगे, एक सुविधा संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए यूआरएल शीघ्र ही उनके द्वारा साझा किया जाएगा और संयुक्त विकल्प फॉर्म में निर्दिष्ट समय-अवधि में विकल्प का प्रयोग करना होगा। शीघ्र ही यूआरएल की उपलब्धता की घोषणा करने वाला एक स्क्रॉल ईपीएफओ द्वारा उनकी वेबसाइट(<https://www.epfindia.gov.in>) पर पहले ही होस्ट किया जा चुका है और कंपनी के सभी पूर्व कर्मचारियों और वर्तमान कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें और यदि वे जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आते हैं और उच्च पेंशन लेने के लिए पात्र हैं तो कार्रवाई शुरू करें।

पूर्वोक्त ईपीएफओ परिपत्र के अनुसार, ईपीएफओ अधिकारी प्रत्येक मामले की जांच करेंगे और निर्णय की सूचना आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से दी जाएगी। परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमा करने की विधि और पेंशन की गणना उनके द्वारा बाद के परिपत्र के माध्यम से साझा की जाएगी।

इसके अलावा, सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि एमएमटीसी जैसे छूट प्राप्त ट्रस्टों के लिए, ईपीएफओ द्वारा मांगी गई राशि को निर्दिष्ट अवधि में जमा करने के लिए ट्रस्टियों के एक उपक्रम की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, इसपर विचार किया जा सकता है कि जिन ईपीएस सदस्यों को अपने स्वयं के स्रोतों से पूर्ण/आंशिक/एकमुश्त भुगतान करने की आवश्यकता होगी, उन्हें ईपीएफओ द्वारा निर्धारित एक अंडरटेकिंग जमा करना होगा ताकि उनके द्वारा इसका

आने जाते

अनुपालन किया जाएगा। संयुक्त विकल्प एमएमटीसी द्वारा अनुसमर्थित किया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा प्रकटीकरण के बाद अंडरटेकिंग जमा करने का प्रारूप साझा किया जाएगा। उन ईपीएस सदस्यों के लिए जिनकी निधियां अभी भी एमएमटीसी सीपीएफ ट्रस्ट के पास हैं, अंशदान राशि उन्हें बिना किसी संदर्भ के ईपीएफओ को हस्तांतरित की जा सकती है।

उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा तथा पेंशन की गणना अभी भी ईपीएफओ द्वारा घोषित नहीं की गई है। उच्च पेंशन लाभ विकल्प का प्रयोग करते समय कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों द्वारा उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आनंद जी

(ए एन गौड़)

महाप्रबंधक (का)

प्रति:

1. अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के कार्यकारी सचिव/निदेशकों के निजी सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी/कंपनी सचिव
2. का.का./क्षे.का. के मु.म.प्र./म.प्र.
3. उप म.प्र.(सीपीएफ लेखा)/सीपीएफ(आरबी)/प्र.(एआर कक्ष)/प्र.(एवई)/मेन पावर
4. महासचिव, एमएमटीसी अधिकारी संघ, जयपुर/महासचिव, एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ का.का./एमएमटीसी कर्मचारी संघ
5. अपर म.प्र.(सिस्टमस) – कृपया उपरोक्त का.आदेश एमएमटीसी इंटरनेट पर प्रदर्शित करें।